



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18102025-267009
CG-DL-W-18102025-267009

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अक्टूबर 12—अक्टूबर 18, 2025, शनिवार/ आश्विन 20—आश्विन 26, 1947
No. 17] NEW DELHI, OCTOBER 12—OCTOBER 18, 2025, SATURDAY/ ASVINA 20—ASVINA 26, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.नि.आ. 36.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना (अग्निशमन अधिकारी पद) भर्ती नियम, 1989, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना में उप संभागीय अग्निशमन अधिकारी के पदों पर भर्ती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय नौसेना उप संभागीय अग्निशमन अधिकारी, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 हैं।

(ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों द्वारा उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप संभागीय अग्रिशमन अधिकारी ।	4* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-07 (रु. 44900-142400).	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति के द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) ।	प्रोन्नति: ऐसे सहायक संभागीय अधिकारी (अग्रिशामक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -06 (रु. 35400 -112400) में पाँच वर्ष की

		नियमित सेवा पूरी की है और सुरक्षा और अग्निशमन का दो से चार सप्ताह का घरेलू प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण .- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कानूनी निकाय या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी, - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -06 (रु 35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों- (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक डिग्री; और (ii) अग्निशामक सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उच्चतर डिप्लोमा हो; या (iii) भारतीय अग्निशामक इंजीनियर्स संस्थान से स्नातक की परीक्षा पास की हो; या (iv) राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय, नागपुर या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेशन अधिकारी का या सहायक सांभागीय अधिकारी का या सांभागीय अधिकारी का कोर्स किया हो; और (आ) किसी प्रख्यात अग्निशामक सेवा में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से
--	--	--

		ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - (1) सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन एवम् असैनिक), नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष (2) निदेशक, असैनिक कार्मिक, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य (3) अवर सचिव/ डी(नियुक्तियाँ), रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं . सी पी(जी)/1776/एफ ओ/ /डी(ए पी पी टी टी एस)/2025]

एं .पि हरीनारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

S.R.O. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy (Fire Officer Posts) Recruitment Rules, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Divisional Fire Officer, in Naval Headquarters, Ministry of Defence, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indian Navy Deputy Divisional Fire Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-serviceman and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non - selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Divisional Fire Officer.	04* (2025). * (Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 7 (Rs.44900 - 142400) in the pay matrix.	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion: Assistant Divisional Officer (Fire) in level 6 (35,400 – 112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks in house training in fire safety and firefighting. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the level 6 (35400 – 112400) in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- (A) (i) Bachelor Degree in Science from a recognised University or institute; and (ii) Advanced Diploma of National Fire Service college, Nagpur; or

		(iii) Graduateship Examination of the Institution of Fire Engineers, India; or (iv) passed Station Officer's Course or Assistant Divisional Officer's or Divisional Officer's Course from National Fire Service College, Nagpur or any other recognised institute; and (B) two years' professional experience in a reputed fire service. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Assistant Chief of Personnel (AC) Naval Headquarters, Ministry of Defence - Chairman; 2. Director of Civilian Personnel Naval Headquarters, Ministry of Defence - Member; 3. Under Secretary /D(Appointments) Ministry of Defence - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. CP(G)/1776/FO/ /D(Apptts)/2025]

MP HARINARYANAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

का.नि.आ. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना और क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सेना और क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय की निम्नतर विरचनाओं में सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना और क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी (समूह ख पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:** उक्त पदपर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
1	2	3	4	5	6
सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी	21* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन स्तर -7 (44900-142400 रु.)	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
7	8	9	10	11	12	13
आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री। अनुभव (ii) सुरक्षा और अग्रिमन कर्तव्यों में तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय: अग्रिमन में प्रशिक्षण टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 02 वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा-विहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कम-से-कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) दस प्रतिशत प्रोन्नतिद्वारा; (कवालिटी आश्वासन महानिदेशालय के अधीन सुरक्षा सहायक श्रेणी 'क' के लिए पांच प्रतिशत + इंजीनियर-इन-चीफ शाखा के अधीन सुरक्षा सहायक श्रेणी 'क' के लिए पांच प्रतिशत) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (iii) तीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा।	प्रोन्नति (i) सुरक्षा सहायक श्रेणी 'क' जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -05 (29,200-92,300 रु.) में क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के अधीन यूनिट या स्थापन में दी गई श्रेणी में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ii) सुरक्षा सहायक श्रेणी 'क' जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में सेना मुख्यालय में इंजीनियर-इन-चीफ शाखा के अधीन यूनिट या स्थापन में दी गई श्रेणी में ग्यारह वर्ष	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) संयुक्त सचिव (सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी संवर्ग के प्रभारी), रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष। (ii) निदेशक या उप सचिव (सिविलियन कार्मिक), रक्षा मंत्रालय - सदस्य (iii) निदेशक या उप सचिव (सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी) संवर्ग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।				की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में) विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i)निदेशक या उप सचिव(सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी संवर्ग) से संबंधित, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष (ii)अवर सचिव (सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी संवर्ग), रक्षा मंत्रालय - सदस्य (iii)अवर सचिव (सिविल-1/11), रक्षा मंत्रालय - सदस्य	
---	--	--	--	---	---	--

				पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिक के लिए) प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 (35,400-112400 रु.) में या समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिक के		
--	--	--	--	---	--	--

				लिए): वेतन मैट्रिक्स स्तर-07 (44,900-142400 रु.)में या समतुल्य में सशस्त्र बल के ऐसे कनिष्ठ कमीशन ऑफिसर या समतुल्य पंक्ति के कार्मिक के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, पर विचार किया जाएगा। यदि चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से		
--	--	--	--	---	--	--

				उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसा पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है या उसे रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया है उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या		
--	--	--	--	---	--	--

				किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण.3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2016 (वह तारीख जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई हैं) से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को,		
--	--	--	--	---	--	--

				सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतन स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतन स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन या वेतन स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--	--	---	--	--

[फा. सं. 8(04)/2025-डी (ऐ फ)]

एम्. पी हरिनारायण, अवसर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2025

S.R.O. 37.—In exercise of power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of Army and Director General Quality Assurance (Civilian Assistant Security Officers) Recruitment Rules 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Assistant Security Officer in the Ministry of Defence, lower formations of the Army and Director General Quality Assurance namely:-

1. Short Title and Commencement – (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army and Director General of Quality Assurance, Civilian Assistant Security Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix – The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in the columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification – No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Civilian Assistant Security Officer	21*(2025) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non Ministerial	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection	Not exceeding thirty years. (Relaxable for, Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
7	8	9	10	11	12	13
Essential: Qualifications (i) Bachelor Degree of a recognized university or Institute. Experience (ii) Three years professional experience in security and Fire Fighting Duties. Desirable: Training in Fire Fighting Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at	Age: No Educational Qualifications: Not applicable	Two years for Direct Recruits and Promotees. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government	(i) Ten per cent. by promotion; (Five per cent. for Security Assistant Grade A under Directorate General of Quality Assurance plus Five per cent. for Security Assistant Grade A under Engineer-in-Chief Branch) promotion failing which by Direct Recruitment; (ii) Sixty per cent. by Direct Recruitment; (iii) Thirty per cent. by Deputation or Re-employment of Ex-Servicemen.	Promotion (i) Security Assistant Grade 'A' in level-5 of the pay matrix (Rs.29200-Rs.92300) with eleven years regular service in the grade rendered in a Unit or Establishment under the Directorate General of Quality Assurance; (ii) Security Assistant Grade 'A' in the Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-Rs.92300) with eleven years regular service in the grade rendered in a Unit or Establishment under the Engineer in Chief Branch in Army Headquarter. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary (In-Charge of Civilian Assistant Security Officers' Cadre), Ministry of Defence – Chairperson 2. Director Or Deputy Secretary (Civilian Personnel), Ministry of Defence – Member 3. Director or Deputy Secretary (dealing with Civilian Assistant Security Officers' Cadre), Ministry of Defence – Member Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director or Deputy Secretary (dealing with Civilian Assistant Security Officers' Cadre), Ministry of	Consultation with Union Public Service Commission necessary for Direct Recruitment.

any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			or two years , whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/ Re-employment (for Armed Forces Personnel) Deputation: From Officers under Central Government or State Governments or Union Territory Administrations,- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the Level-6 of the Pay matrix (Rs. 35400- Rs.112400) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits in Column (7). Re-employment (for Armed Forces Personnel): The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent in the Level 7 of Pay	Defence – Chairperson 2. Under Secretary (dealing with Civilian Assistant Security Officers' Cadre), Ministry of Defence – Member 3. Under Secretary (Civ-I/II), Ministry of Defence – Member.	
---	--	--	--	---	--

				Matrix (Rs. 44900-Rs. 142400) or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite qualifications and experience as prescribed for the Direct Recruits under column (7) shall be considered. If selected such officers would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of		
--	--	--	--	--	--	--

				deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age – limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay Level extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of Pay into one Grade with a common Grade Pay or Pay Level, and where this benefit will extend only for the post for which that Grade		
--	--	--	--	--	--	--

				Pay or Pay Level is the normal replacement Grade without any up gradation.		
--	--	--	--	--	--	--

[F. No. 8(04)/2025-D(AF)]

M.P. HARINARAYANAN, Under Secy.